

झारखण्ड सरकार  
आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोराबादी, राँची।

पत्रांक- 03/छात्रवृत्ति विज्ञापन-01/2016-.....665

प्रेषक,

नमन प्रियेश लकड़ा, भा0प्र0से0,  
आदिवासी कल्याण आयुक्त।

सेवा में,

निदेशक,  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 20/07/2021

विषय : - विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष-2021-22 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना से संबंधित सूचना के प्रकाशन हेतु विज्ञापन सामग्री तैयार की गई है।

अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन को राज्य एवं राज्य के बाहर सभी दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ज्ञापांक: 665

राँची, दिनांक : 20/07/2021

प्रेषित।

प्रतिलिपि : Central for Good Governance, Hyderabad को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ

ज्ञापांक: 665

राँची, दिनांक : 20/07/2021

प्रतिलिपि : सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, झारखण्ड/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

साथ ही अनुरोध है कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाय।

ज्ञापांक: 665

राँची, दिनांक : 20/07/2021

प्रतिलिपि : सरकार के सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय पत्रांक-1423, दिनांक-19.07.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना वर्ष-2021-22 हेतु आवेदन से सम्बन्धित आवश्यक सूचना

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को सरकार द्वारा जारी निर्देश के आधार पर निर्धारित मापदंड के अनुसार वितीय वर्ष-2021-22 में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

**1. छात्रवृत्ति के लिए आय की अधिसीमा :-**

अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र/छात्राएँ जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी श्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं हो तथा पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राएँ जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी श्रोतों से वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये से अधिक नहीं हो, इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

**2. आवेदन करने की प्रक्रिया :-**

अर्हता प्राप्त छात्रों को वेबसाइट <https://ekalyan.cgg.gov.in> में दिये गये सभी दिशा निर्देशों एवं प्रक्रियाओं को पालन करते हुए ऑनलाईन आवेदन करना है। ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् उसकी हार्डकॉपी (Printout) में विधिवत हस्ताक्षर कर एवं सभी निम्नांकित वांछित प्रमाण-पत्रों की Scanned Copy (jpeg/jpg में 150kb तक) वेबसाइट पर अपलोड करेंगे :-

- ऑनलाईन आवेदन के पश्चात् प्रिन्ट आउट पर छात्र एवं अभिभावक के हस्ताक्षर सहित
- ऑनलाईन के माध्यम से निर्गत आय प्रमाण-पत्र (Income Certificate) (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति। (दिनांक-01.04.2021 से निर्गत आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा।)
- ऑनलाईन के माध्यम से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र (Caste Certificate) (अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति।
- ऑनलाईन के माध्यम से निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र (Residential Certificate) (अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति।
- संस्थान के लेटर हेड में संस्थान द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए निर्गत Bonafide Certificate (with Fee Structure निर्गत संख्या एवं दिनांक के साथ) की मूल प्रति। (एक पृष्ठ में)
- पूर्व की परीक्षा के अंकपत्र (Mark Sheet of previous exam) की अभिप्रमाणित प्रति।
- छात्र के नाम पर बैंक खाता पासबुक की पृष्ठ, जिसमें Account No. एवं IFS Code उल्लेखित हो, की छायाप्रति (बैंक खाता को आधार संख्या से सीडिंग होना अनिवार्य है।)। छात्रवृत्ति की धनराशि PFMS के माध्यम से Aadhar Enabled DBT के द्वारा सुयोग्य छात्र-छात्राओं के खाते में अन्तरित की जाएगी।

**3. ऑनलाईन आवेदन की समय सीमा:-**

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही प्रारम्भ होने की तिथि	कार्यवाही के लिए निर्धारित अंतिम तिथि
1.	नए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण एवं पंजीकृत संस्थानों द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन।	26.07.2021	14.08.2021
2.	संबन्धित छात्र-छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया	26.07.2021	30.09.2021
3.	शैक्षणिक संस्थान द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन का सत्यापन।	17.08.2021	20.10.2021

#### 4. कॉलेज/संस्थान का निबंधन

ऐसे कॉलेज/संस्थान जिनके द्वारा affiliation एवं registration का अद्यतन कागजात वेबसाइट पर upload नहीं किया गया है, से पुनः अद्यतन कागजातों के साथ वेबसाइट पर registration करने का अनुरोध किया गया है। कॉलेज/संस्थान के द्वारा registration करने एवं पंजीकृत संस्थानों द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 14.08.2021 निर्धारित की गई है।

#### 5. कॉलेज/संस्थान का दायित्व:-

(I) संस्थान अपना पूर्ण विवरण सहित मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे।

नोट:- राज्य के अन्दर स्थित संस्थानों को संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा User Id एवं Password उपलब्ध कराया जायेगा तथा राज्य के बाहर के संस्थानों को उनके ई-मेल आईडी0 पर User Id एवं Password उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य के अन्दर स्थित महाविद्यालय/संस्थान Course Mapping करते हुए Fee Detail भी Update करेंगे जो Post Matric (Within State) में Student application form दिखाई देगा, तभी Student Online आवेदन कर सकते हैं। राज्य के बाहर स्थित महाविद्यालय/संस्थान को Course Mapping करने की आवश्यकता नहीं है।

(II) छात्र/छात्रा की छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के लेटर हेड में वर्ष-2021-22 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का Bonafide Certificate निर्गत संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत करेंगे।

(III) संस्थान प्रधान अपने महाविद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के द्वारा भरे गए Online आवेदन को <https://ekalyan.cgg.gov.in> के वेबसाइट पर अपने User Id एवं Password के माध्यम से login कर Online सत्यापित करेंगे। राज्य के अन्दर स्थित महाविद्यालय/संस्थान सत्यापन से पूर्व Fee Detail भी Update करेंगे।

(IV) पूर्व से छात्रवृत्ति पोर्टल पर निबंधित संस्थान यदि अपने User Id एवं Password भूल गए हों तो पोर्टल पर दिए गए लिंक से पुनः User Id एवं Password Recover कर सकते हैं।

#### 6. हेल्प लाईन:-

सिर्फ आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में यदि कोई कठिनाई हो तो ई.-कल्याण के सम्पर्क संख्या - 040-23120591 / 23120592 / 23120593 पर सम्पर्क कर सकते हैं, एवं e-mail id - [helpdeskekalayan@gmail.com](mailto:helpdeskekalayan@gmail.com) पर e-mail कर सकते हैं अथवा <https://ekalyan.cgg.gov.in> वेबसाइट के Complaint link पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

#### 7. नोट :-

- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से संबंधित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से निर्गत दिशा-निर्देश एवं अन्य अनुवर्ती सूचना वेबसाइट <https://ekalyan.cgg.gov.in> पर देखा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व कृपया उक्त वेबसाइट पर दिए गए निर्देश को अवश्य देख लिया जाय।
- उपबन्धित बजट राशि की सीमा के अन्तर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति स्वीकृति हो सकेगी।
- निश्चित समय सीमा की समाप्ति के पश्चात किसी प्रकार का आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
- छात्र/छात्रा को अपना बैंक खाता संख्या एवं आधार संख्या देना अनिवार्य होगा।
- एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर छात्र/छात्रा का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा।
- ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि/अशुद्धि/गलत अथवा भ्रामक सूचना देने पर आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।

19/07/21  
आदिवासी कल्याण आयुक्त।